

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली-54

सं0एफ0 19(04)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2019/111

दिनांक : 26/02/2019

सेवा में,


उप- सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय,
दिल्ली-54

विषय : दिनांक 28.02.2019 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं0 - 166

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100-100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

भवदीय,



(विकास जैन)
पी.सी.ओ. (सचि0)


VIKAS JAIN
Pollution Control Officer
Transport Department
C/9 Under HSA Road, Delhi-54

विभाग का नाम : परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता : 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली।
अतारांकित प्रश्न संख्या : 166
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
दिनांक : 28.02.2019

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या सरकार द्वारा नागरिक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों जैसे दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अध्यापक, दिल्ली के डॉक्टर एवं राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए डीटीसी की बसों में फ्री यात्रा करने के लिए पास दिये जा सकते हैं;	वर्तमान में डीटीसी द्वारा नागरिक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों जैसे दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अध्यापक, दिल्ली के डॉक्टर एवं राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए डीटीसी बसों में फ्री-यात्रा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।
ख	यदि हाँ, तो इस योजना को लागू करने के लिए सरकार की क्या योजना है; और	
ग	इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?	

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।


श्री. के. दहिया
विशेष आयुक्त (परिवहन)

K.K. DAHIYA
Special Commissioner (Tpt.)